COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED
COURT FEE INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED

142

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1106-I/07

श्री के.के. द्विवेदी द्वारा आज दि० 3-7-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

हरचरण अहिरवार पुत्र हरलाल
निवासी तलापार तहसील खुरई
जिला–सागर (म.प्र.) ...... आवेदक

विरूद्ध

(1) कुमारी लीलिआ पुत्री पी.ई.इप्पन
निवासी 31 ललितपुर रोड झांसी कैंट
जिला–झांसी (उ.प्र.)

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला–सागर (म.प्र.) ...... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 578I/05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.03.07 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, ग्राम बहरोल भूमि खसरा नं. 24/1 रकवा वार्ड 22 हेक्टेयर खसरा नं. 252 रकवा 1.90 हेक्टेयर कुल रकवा 10.12 हेक्टेयर भूमि का विक्रय अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा किया गया जबकि अनावेदिका क्रमांक 1 का विवादित भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में न तो नाम थान ह 'िवह भूमि स्वामी थी इसलिये अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह बिना कसी अधिकारिता के होने के निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि, अनावेदिका क्रमांक 1 लीलिया इप्पन द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन–पत्र बसीयत नामा के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमें बताया गया था कि पेनी ऐवट द्वारा उसके पक्ष में एक बसीयत नामा सम्पादित किया गया है इसलिये उसके हित में नामान्तरण किया जाये तहसील न्यायालय द्वारा बसीयत नामा को विधिवत् रूप में साबित कराये बिना आदेश दिनांक 28.08.2003 को अनावेदिका क्रमांक 1 के हित में नामान्तरण आदेश पारित किया।

2-7-07
K.K. Dwivedi

(3) यहकि, तहसीलदार खुरई के आदेश में अवैधता और अनियमितता होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा अपना एक प्रतिवेदन कलेक्टरसागर के समक्ष प्रस्तुत कर बताया कि तहसीलदार खुरई द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2003 में गम्भीर अनियमिततायें की गयी है इसलिये प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 1106–एक/07 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.04.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन तत्कालीन सदस्य, राजस्व मंडल द्वारा प्रकरण कमांक 578–एक/05 में पारित आदेश दिनांक 06–3–07 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । अनावेदक कमांक 1 प्रकरण में एकपक्षीय है । आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा पुनरावलोकन में उद्धरित किए गए हैं । 3– अनावेदक कमांक 2 म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को न्यायिक एवं विधिसम्मत बताते हुए पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । 4– आवेदक एवं अनावेदक कं0 2 म0प्र0 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित होता है और अपवाद स्वरूप विशिष्ट परिस्थितियों में ही रिव्यू किया जाना न्यायोचित होता है, और जिन आधारों पर अपील या निगरानी स्वीकार हो सकती है वे पुनरावलोकन के आधार नहीं हो सकते । किसी भी मामले का पुनरावलोकन किये जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता में किया	

रिव्यू - 1106, 5/07 (निगरानी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गया है जिसके अनुसार किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था, या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई उचित कारण । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में उक्त आधारों में से एक भी आधार विद्यमान नहीं है । इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि आवेदक का ना तो विवादित भूमि में कोई हित है और ना ही वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों की विस्तार से विवेचना करते हुए तथा प्रकरण तथ्यों पर विधिवत विचार पक्षकारों को सुनकर कारण सहित निष्कर्ष देते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है । न्यायदृष्टांत 1976 आर0एन0 26 में मंडल के विद्वान अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी है कि " जब कोई भूल अभिलेख से प्रत्यक्षतः दर्शित हो तब पुनरावलोकन नहीं हो सकेगा पुनरावलोकन के बहाने किसी प्रकरण को इस उद्धेश्य से नहीं खोला जा सकता कि उसी सामग्री के आधार पर पुनः निर्णय किया जाये । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1995 एम0पी0एल0जे0 494 (मीरा भानजा विरूद्ध निर्मला कुमार चौधरी) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " सी0पी0सी0 आदेश 47 नियम – 1 अभिकथित गलती को ढूंढ़ निकालने की दृष्टि से पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा समग्र साक्ष्य की विवेचना अनुज्ञेय नहीं । उक्त न्यायदृष्टांतों में अभिनिर्धारित मत को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण की समग्र स्थितियों पर विचार के पश्चात मैं यह पाता हूँ यह प्रकरण पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आता और मेरे पूर्वाधिकारी ने	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 1106–एक/07 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जो आदेश पारित किया है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुनरावलोकन आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है तथा राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–3–07 न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	